तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-4-2022	एकल–पीठ श्री खजान सिंह, सदस्य --- उपस्थितः श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी। आदेश यह निगरानी धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2021 में पारित आदेश दिनांक 06–9–2021 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की निगरानी के एडमीशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। 3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी/वादी ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का असल अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि ग्राम मेड़ता की सरहद में स्थित खेत पुराना खसरा नंबर 3118/2 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा की जमीन वादी के पिता बशीर खां पुत्र करीम खां जाति सिपाही निवासी मेड़ता सिटी की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। जिस पर मुखालफाना कब्जा होने के आधार पर दिनांक 13–9–1973 को वादी के पिता बशीर को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर नामांतकरण संख्या 773 स्वीकृत किया गया। उसके पश्चात् राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त खातेदारी की भूमि को रकबा राज दर्ज कर दिया। उक्त भूमि के नवीन खसरा नंबर 3507 रकबा 1.2400 हैक्टेयर कायम किये गये जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 11/हाल अप्रार्थीगण के नाम नहीं कर गै.मु. अंगोर दर्ज कर दी गई। जबकि वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। पटवारी हल्का से इस संशोधन करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया जिस पर यह वाद परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09–7–2021 द्वारा वाद इस आधार पर स्वीकार कर डिक्री किया कि मौजा मेड़ता के नामांतरकरण संख्या 774 में वादी के पिता का नाम अंकन है लेकिन आगामी खतौनी में म्यूटेशन का अंकन करते समय म्यूटेशन में अंकन संख्या 5 बशीर पुत्र करीम जाति सिपाही का नाम सहवन से छूटा हुआ प्रतीत होता है। उक्त म्यूटेशन में अन्य व्यक्तियों के नाम जमाबंदी संवत 2032 से 2035 में स्पष्ट अंकन है केवल वादी के पिता बशीर का नाम छूटा हुआ है। साथ ही बशीर के वारिसान वादी इंसाफ अली एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 11 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकाम का नाम अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश परीक्षण न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय किया गया था। 5– इस पर तहसीलदार, मेड़ता ने उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 09–7–2021 से व्यथित होकर सहायक कलक्टर (एसडीओ) मेड़ता के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश कर कथन किया कि उन्होंने तहसीलदार को बिना विधिवत नोटिस तामील कराये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 09–7–2021 पारित कर दी है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त कर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। सहायक कलक्टर (एसडीओ) मेड़ता ने अपने आदेश दिनांक 20–7–2021 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09–7–2021 को आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप से स्थगित किया गया। 6– प्रार्थी इंसाफ अली के द्वारा आदेश दिनांक 20–7–2021 से व्यथित होकर एक अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश किये गये। उनके द्वारा कथन किया गया कि न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मेड़ता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–7–2021 के समय तहसीलदार बाद तामील अनुपस्थित रहे। इसके बाद तहसीलदार द्वारा सहायक कलक्टर के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर बिना स्थगन आवेदन के एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 20–9–2021 पारित करवा लिया है, जिससे वह अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः उक्त आदेश दिनांक 20–9–21 की पालना को स्थगित किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7– इस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 06–8–2021 द्वारा सहायक कलक्टर (एसडीओ) मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2021 की पालना, प्रभाव व क्रियानिवति आगामी पेशी तक स्थगित रखने का आदेश दिया। 8– इसके बाद तहसीलदार के द्वारा दिनांक 03–9–2021 को एक अन्य अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश किये। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट की एकपीक्षय बहस सुनकर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 06–9–2021 द्वारा विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति उभय पक्ष को बनाये रखने के आदेश पारित किये। 9– हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश/निर्णय का अवलोकन किया। 10– पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा एक तरफ इंसाफ अली की ओर से अपील संख्या 263/2021 उनवानी इंसाफ अली बनाम सदीक के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 06–8–2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जारी आदेश दिनांक 20–7–2021 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ इसी विवादित भूमि पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा तहसीलदार, मेड़ता के द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 97/2021 उनवानी तहसीलदार मेड़ता बनाम इंसाफ अली के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनकर स्थगन आदेश दिनांक 06–9–2021 पारित कर दिया। 11– तहसीलदार, मेड़ता के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के स्तर पर जो अपील प्रस्तुत की गई है, वह निर्णय व डिक्री दिनांक 09–7–2021 के विरूद्ध पेश की गई है। इसी निर्णय के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय मानते हुए तहसीलदार, मेड़ता आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत् प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के द्वारा दिनांक 20–7–2021 को आदेश जारी कर निर्णय व डिक्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 09–7–2021 को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया। उक्त आदेश की अपील कर इंसाफ अली के द्वारा जब राजस्व अपील प्राधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया उसमें तहसीलदार, मेड़ता भी पक्षकार था। इसके बावजूद तहसीलदार, मेड़ता के द्वारा एक अन्य अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं था। उनके द्वारा इंसाफ अली के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत अपील में चाराजोही करनी चाहिए थी। 12– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, मेड़ता के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 97/2021 विधि के विपरीत जाकर प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–9–2021 निरस्त किये जाने योग्य है। 13– परिणामतः निगरानी प्रार्थी एडमीशन स्तर पर ही आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपरोक्तानुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2021 तहसीलदार बनाम इंसाफ अली में पारित आदेश दिनांक 06–9–2021 खारिज किया जाता है। 14– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(खजान सिंह)** **सदस्य**	